

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 881]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937

No. 881]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015/VAISAKHA 10, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2015

का.आ. 1136(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन तथा अगले आदेशों तक, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12) की धारा 2, 4 एवं 8 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं कार्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू.-11020/01/2015-यूटीएल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2015

S.O. 1136(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers and functions of the State Government under Sections 2, 4 and 8 of the Poisons Act, 1919 (12 of 1919) shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised by the Administrator of the Union Territory of Chandigarh within that Union Territory.

[F. No. U-11020/01/2015-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

1922 GI/2015